छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
----0000----

/ /आदेश/ /

नया रायपुर, दिनांक 18/07/2017

क्रमांक एफ 7–28/2016/32:: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 73 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए EoDB सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा के प्रस्ताव के समय समस्त स्थल निरीक्षण संबंधित विभागों जैसे अग्निशमन, सीवरेज, विद्युत, श्रम विभाग, जल प्रदाय से संबंधित विभागों द्वारा एकल संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं भवन निर्माण अनुज्ञा के प्रकरणों में प्लींथ स्तर एवं पूर्णता तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा में स्थल निरीक्षण हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करता है:–

1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु समस्त स्थल निरीक्षण संबंधित विभागों जैसे अग्निशमन, सीवरेज, विद्युत, श्रम विभाग, जल प्रदाय से संबंधित विभागों द्वारा एकल संयुक्त स्थल निरीक्षण अनिवार्य होगा।
2.. प्लींथ स्तर का स्थल निरीक्षण आवेदक से सूचना प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर किया जावेगा।
3. कार्यपूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थल निरीक्षण 07 दिवस के अंदर किया जाकर 01 दिवस में प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव

पृ. कमांक–एफ 7–28/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 18/07/2017

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर,
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर,
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर,
6. आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर,
7. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग